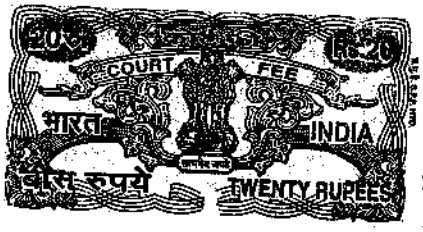

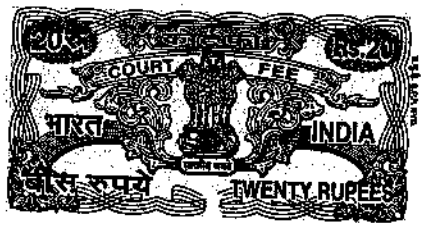

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

आवेदक – श्री सुरेश कुमार धुर्वे उम्र 37 वर्ष, आत्मज श्री छोटेलाल धुर्वे (जाति गौड़) आदिवासी निवासी– मुकनवारा तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक – म.प्र. शासन
द्वारा– कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रं. 319/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2014 से व्यथित होकर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1028 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 319/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-4-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 16-4-14 के विरूद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक कम पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति है जिसे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन के अंतिम के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर वह निरंतर इस असमंजस्य में रहा कि उसका प्रकरण अभी विचाराधीन है । जब वह मार्च-2016 में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लेने गया तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन निरस्त किया जा चुका है तब उन्होंने दिनांक 16-3-2016 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के प्रकरण की नकलें प्राप्त की गई तब उसे प्रकरण निरस्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । आवेदक द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकि आधार पर मामला खारिज नहीं किया जाना चाहिए - उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिए गए तर्कों के समर्थन	

R-1028 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता.

में अपना शपथपत्र भी पेश किया गया है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है ।

3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा मौजा टीगन नं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 1,2, 56, 89, 158, 162, 164, 227, 492 एवं 496 रकबा क्रमशः 1.110, 1.210, 0.420, 1.750, 2.420, 0.400, 1.030, 0.830, 2.270 एवं 4.330 हैक्टर कुल रकबा 15.770 हैक्टर को सतपुड़ा इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता स्व0. राममिलन त्रिपाठी निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे तहसील व जिला जबलपुर को को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक काआवेदन निरस्त किया गया है कि उसके पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों में उल्लखित अनुसार भूमि शेष नहीं बच रही है तथा उसे गाईड लाईन से कम राशि प्राप्त हो रही है । इस संबंध में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि कलेक्टर का भूमि शेष नहीं बचने संबंधी निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि आवेदक के पास ग्राम चरगवां में 5.68 हैक्टर भूमि शेष बचती है इसका उल्लेख तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में भी किया है । किंतु कलेक्टर द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । कम राशि प्राप्त होने के संबंध में यह कहा गया कि क्रेता अब उन्हें वर्तमान गाइड लाइन के हिसाब से भूमि का मूल्य देने को तैयार है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 1028 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । आवेदक के पास ग्राम चरगवां में 5.68 हैक्टर भूमि शेष बचती है भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में निगरानी हसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा टीगन नं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि मौजा टीगन स्थित आवेदित भूमियां जिनका उल्लेख ऊपर पैरा - तीन में किया गया है, के विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	

R-1028-A/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1028--एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-5-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी — उपस्थित । उनके द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6--4--16 को प्रकरण कमांक 1028--एक/16 में आदेश पारित करते हुए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है । शर्त कमांक 1 के अनुसार केता चालू वर्ष की गाइड लाइन के मान से मूल्य देने को तैयार हो यह उल्लेख है जबकि आवेदक का प्रस्तावित केता से भूमि विकय करने का अनुबंध वर्ष 2012--13 में हुआ था और उसके द्वारा उस अनुसार समय--समय पर राशि भी प्राप्त कर ली है । आवेदक द्वारा पूर्व में अनुबंध के समय केता से पूर्व में प्राप्त की गई राशि व्यय हो चुकी है ऐसी स्थिति में आदेश में वर्णित शर्त को संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः चालू वर्ष की गाइड लाइन के स्थान पर केता द्वारा आवेदक (विकेता) को अनुबंध अनुसार मूल्य देने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया, प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए विचारोपरांत आवेदक का अनुरोध स्वीकार करते हुए आदेश की शर्त कमांक 1 के स्थान पर निम्न शर्त स्थापित की जाती है । 1-- केता द्वारा विकेता को अनुबंध पत्र दिनांक 9--1--12 में उल्लिखित राशि अथवा वित्तीय वर्ष 2012--13 में प्रश्नाधीन भूमि की शासकीय गाइड लाइन की दर से राशि, जो भी अधिक हो विकेता को अदा की जायेगी । लेकिन विकयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक द्वारा वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से केता द्वारा पंजीयन शुल्क आदि अदा करने पर ही किया जायेगा । आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	